विधान सभा प्रश्न
तत्काल/ आज ही

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग
ए-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

F.No.266/DCF(P&M)/VIP/VS/USQ-.176/2020-21/ 9026-29 दिंनाक:- 30/12/2021

सेवा मे,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-110054.

विषय: विधान सभा प्रश्न संख्या- **176** (अतारांकित) जो कि दिंनाक **04.01.2022** को माननीय सदस्य श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा पूछा जाना है ।

महोदय,

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ आपकी अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

यह पत्र सक्षम प्राधिकरण अधिकारी से अनुमोदन के पश्चात जारी किया जाता है ।

भवदीय,

30/12/21
(मनदीप मित्तल)
उप- वन संरक्षक (पी. एंड एम्.)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 के सूचनार्थ हेतु ।
3. निदेशक, सुचना एवं प्रसारण, निर्देशालय दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली। (150 प्रतियाँ).

30/12/21
(मनदीप मित्तल)
उप- वन संरक्षक (पी. एंड एम्.)

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग,
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रशन संख्या : 176
दिनांक :– 04.01.2022.
प्रशनकर्ता का नाम :– श्रीमती बंदना कुमारी

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

S.NO.	VIDHAN SABHA QUESTION NUMBER:- 176	REPLY
क	एमसीडी. डीडीए. पीडब्ल्यूडी की सड़को पर पेडों के संरक्षण व रखरखाव को लेकर इन विभागों की क्या - कार्यनीति है ;	दक्षिणी एमसीडी का उतर अनुलग्नक अ –(1) पर संलगित है । उत्तरी एमसीडी का उतर अनुलग्नक अ –(2) पर संलगित है । पूर्वी एमसीडी का उतर अनुलग्नक अ –(3) पर संलगित है । डीडीए का उतर अनुलग्नक -ब पर संलगित है । पीडब्ल्यूडी का उतर अनुलग्नक -स पर संलगित है ।
ख	पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनो संस्थाओ ने क्या कदम उठाए हैं ;	
ग	पेडों के ठीक से रखखाव व संरक्षण के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है ; और	पेडों के ठीक से रखरखाव व् संरक्षण के सम्बन्ध में वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने वन क्षेत्र में निम्न कार्य नीति अपनाई जाती है:- • लगाए गए पौधों को नियमित रूप से पानी देना एवं खाद देना । • यदि किसी वृक्ष में कीड़े या कोई गंभीर बीमारी की आशंका होती है तो उसका उपचार जल्द से जल्द किया जाता है। • वन क्षेत्र में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग का निर्माण किया जाता है। • लगाए गए पौधों में खरपतवार झाड़ और घास इत्यादि की सफाई का कार्य समय समय पर कराया जाता है । • वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वन क्षेत्रो में अपने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त की जाती है । जिससे दिल्ली के वन क्षेत्रों पर अधिक से अधिक हरियाली रहे।

30/12/21
Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

घ	पेड़ों के ठीक से रख-रखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिति में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई व उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है, पूर्ण विवरण दें?	दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, **1994** की धारा **(8)** के अनुसार, यदि किसी वृक्ष से किसी प्रकार के जान या माल के खतरे की सम्भावना हो अथवा यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो भूमि का मालिक/ विभाग ऐसे वृक्षों को गिराने हेतु तत्काल कार्यवाही कर सकता है और इस तथ्य से सम्बंधित जानकारी उस क्षेत्र के सम्बंधित वृक्ष अधिकारी को **24** घंटे के अंदर दी जानी अनिवार्य है। पेड़ों के ठीक से रख-रखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिति में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई के लिए भूमि का मालिक/ विभाग जिम्मेदार होगा।

30/12/21

(मनदीप मित्तल)

उप- वन संरक्षक (पी. एंड एम्.)

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

अनुलग्नक -अ(1)

मास्क का प्रयोग करें
दो गज़ की दूरी बनायें रखें
हाथ साबुन-पानी से अच्छे से धोयें

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
उद्यान विभाग मुख्यालय
तीसरा तल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
सिविक सेंटर नई दिल्ली – 110002

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक- उप० निदे०/उ०/मु० /द. दि. न. नि. /2021-22/ दिनांक /12//2021

विषय: विधान सभा प्रश्न सं0 176 दिनाँक 04.01.2022 श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सन्दर्भ मे:–

इस संदर्भ में उद्यान विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मदानुसार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:		
(क)	एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी की सडकों पर पेडों के संरक्षण व रख–रखाव को लेकर इन विभागों की क्या कार्यनीति है	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग, के द्वारा पेड़ों के संरक्षण के लिए रोड़ पर स्थित वृक्षो की शाखाओं की समय–समय पर हल्की छटाई तथा वृक्षों में पानी देने का कार्य किया जाता है।
(ख)	पिछले 5 वर्षो में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनों संस्थाओं ने क्या कदम उठाए है।	पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्यान विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा पार्को तथा सड़को के किनारे वृक्षारोपण, घास लगाने तथा विकास कार्य किया जाता है।
(ग)	पेंडों के ठीक से रख–रखरखाव व संरक्षण के संबध में विभाग की क्या कार्यनीति है: और	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग के द्वारा पेड़ों के संरक्षण के लिए रोड़ पर स्थित वृक्षो की शाखाओं की समय–समय पर हल्की छटाई तथा वृक्षों में पानी देने का कार्य किया जाता है।
(घ)	पेंडों के ठीक से रख–रखरखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिति में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई व उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारीयों की जवाबदेही तय करने के संबध में विभाग की क्या कार्यनीति है, पूर्ण विवरण दें?	अधिकतर पेड प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान पहूँचाती है जिसमें कर्मचारियों की जवाबदेही तय नही की जा सकती।

PKBanerjee
उपनिदेशक उद्यान (मुख्यालय)

प्रशासनिक अधिकारी (सी. एण्ड सी.)/द.दि.न.नि.

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

विभाग (मु0)

अनुलग्नक - अ (2)

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
उद्यान विभाग (मु0)
16वीं मंजिल, सिविक सेंटर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

क्रमांक:- निदे.उ./उप.निदे.उ./मु0/2021/......

दिनाँक:- ....

विषय: **विधान सभा प्रश्न संख्या-176, दिनांक 04.01.2022 सड़कों पर पेड़ों के संरक्षण व रख-रखाव के संबंध में माननीय विधायक श्रीमती बन्दना कुमारी द्वारा पूछे गए प्रश्न।**

कृप्या पत्र क्रमांक एफ.33/533/प्रशा.अधि.(सएवंस)/2021/1828 दिनांक 28.12.2021 का अवलोकन करें जो कि उपरोक्त विषय के संबंध में है। इस संदर्भ में उद्यान विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मदानुसार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क	एम.सी.डी., डी.डी.ए., पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों पर पेड़ों के संरक्षण व रख-रखाव को लेकर इन विभागों की क्या कार्यनीति है?	60 फुट से कम चौड़ी सड़कों पर पेड़ों का संरक्षण व रख-रखाव उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा विभागीय कर्मचारियों से करवाया जाता है।
ख	पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनों संस्थाओं ने क्या कदम उठाए हैं?	पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधीन आने वाले पार्कों, सड़कों, निगम अस्पतालों तथा संस्थानों में वृक्षारोपण कराया है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है : (see table below)
ग	पेड़ों के ठीक से रख-रखाव व संरक्षण के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है और	पेड़ों के ठीक से रख-रखाव व संरक्षण हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर खाद-पानी देना तथा हल्की प्रूनिंग (छंटाई) की जाती है।

वर्ष	लगाये गये पेड़ों की संख्या	लगाई गई झाड़ियों की संख्या
2016-17	53941	150868
2017-18	44037	35456
2018-19	25968	68702
2019-20	25990	25252
2020-21	27330	37756

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

घ	पेड़ों के ठीक से रख-रखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिती में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई व उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है, पूर्ण विवरण दें?	उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत गिरने की स्थिती वाले पेड़ों को वन-विभाग, दिल्ली सरकार से अनुमति लेने के बाद उन्हें कटवा दिया जाता है।

अनुभाग अधिकारी(उद्यान)/मु.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उप. निदेशक(उद्यान)/मु.

निदेशक(उद्यान)/उ.दि.न.नि.

उप. निदेशक(उद्यान)/के.पु.क्षे.

30/11/21
Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

अनुलग्नक - अ (3)

विषयः— विधान सभा प्रश्न संख्या 176 (क) और (ख) के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 27.12.2021, को शाम 05 बजे ई—मेल निदेशक उद्यान, पू.दि.न.नि को प्राप्त हुआ। जिसमें संबंधित विधायक श्रीमती बंदना कुमारी जी द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्न संख्या 176 (क) और (ख) के संदर्भ में, उद्यान विभाग, पू0दि0न0नि0 का जबाब निम्न प्रकार है।

क्र. स.	प्रश्न	उत्तर
क)	एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी की सडको पर पेडो के संरक्षण व रख—रखाव को लेकर इन विभागो की क्या कार्यनीति है;	पू.दि.न.नि. की सड़को पर पेडो के संरक्षण एंवम रख—रखाव हेतू विभाग द्वारा टैंकरो के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था एंवम समय—समय पर मालियों द्वारा पेडो की कटाई—छटाई कराई जाती है। एंवम वन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा समय—समय पर दिशा निर्देशो के तहत पेडो के चारो तरफ पक्के फर्श को तोड़कर कच्चा कराना, दिये गये लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण कराना एंवम पेडो पर नम्बरिंग इत्यादि कराना शामिल है।
ख)	पिछले 5 वर्षो में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनो संस्थाओं ने क्या कदम उठाए है;	उपरोक्तानुसार।

अनुभाग अधिकारी (उद्यान)/मु0

उपनिदेशक (उद्यान)/मु0

30/12/21
Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

निदेशक उद्यान/द.नि.न.नि.

अतिरिक्त आयुक्त(उद्यान)

प्रशासनिक अधिकारी/सी.एण्ड.सी.

अनुलग्नक (ख)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
प्रधान आयुक्त|कार्मिक, बागवानी एवं भू-दृश्य|
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER (PERS., HORT. & LANDSCAPE)
सी-1/115, विकास सदन, नई दिल्ली- 110023
C-1/115, VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI-110023
Email : prncomnr@dda.org.in, pcdda-hort@dda.gov.in Ph.:011- 24633217

No. PC(Pers./Hort./LS)/2021/DD(HQ)DDA/339 Dated:-29.12.2021

To

Principal Chief Conservator of Forest & HoD,
Department of Forests & Wildlife,
Govt. of NCT of Delhi,
Vikas Bhawan, 2nd Floor, A-Block,
I.P. Estate, New Delhi-110002.

विषयः- अत: 176 माननीय एम.एल.ए. श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर ।

उपरोक्त विषय से संबधित विधान सभा दिल्ली प्रश्न संख्या 176 जोकि माननीय एम.एल.ए. श्रीमती बंदना कुमारी द्वारा विधान सभा में उठाया गया है, का उत्तर निम्नलिखित है।

Sir,

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेड़ों के संरक्षण व रख - रखाव को लेकर इन विभागों की क्या कार्यनीति है?	सड़कों पर पेड़ों का संरक्षण व रख रखाव डी0 एस0 आर0- 2021 के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। पेड़ों का संरक्षण, रख रखाव कटाई, छटाई (Pruning) और सिंचाई नियमित रूप से उपरोक्त माप दण्डों के अनुसार की जाती है।
(ख)	पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनों संस्थाओं ने क्या कदम उठाए हैं?	1- दिल्ली विकास प्राधिकरण में विगत 5 वर्षों में 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 तक लगभग 33.24 लाख पोधों वृक्षारोपण किया है। 2- भूजल को बचाने के लिए पार्कों मे सिचाई की समूची व्यवस्था के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपचारित जल की सप्लाई की व्यवस्था कर रहा है। इससे लगभग 181 पार्कों मे उपचारित जल से सिचाई की जा रही है। 3- ग्रीन वेस्ट की समूचित निपटान के लिये एवं पार्कों में इससे लगने वाली आग को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रीन वेस्ट को खाद में परिवतित करने का कार्य शुरू किया है। एवं इस वर्ष लगभग 19,000 qtl. खाद का उत्पादन ग्रीन वेस्ट से किया जायेगा।

This is issued with the approval of Principal Commissioner (Hort.)

28/12/2021
Dy. Director (Hort.) HQ
DDA

30/12/21
Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002

अनुलग्नक -(स)

निदेशक (उद्यान)
लोक निर्माण विभाग
13 वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन, न.दिल्ली –110002
DIRECTOR OF HORTICULTURE
Public Works Department, GNCT of Delhi
13th Floor, M.S.O. Building, New Delhi – 110002
Ph. 011-23490469, Fax.: 011-2372418
e-mail : dohpwddelhi@gmail.com

सं. 14(1)/नि0उ0/लो0नि0वि0/दि0स0/ई0सी0/2021/938-[illegible] दिनांक :28 /12/2021

सेवा में,

Principal Chief Conservator of Forests & HoD
Department of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
Vikas Bhawan, 2nd Floor,'A' Block
I.P. Estate, New Delhi-110002

विषयः **Assembly Unstareed Question NO. 176.**

माननीय श्रीमति बंदना कुमारी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 176 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
क)	एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेड़ों के संरक्षण व रखरखाव को लेकर इन विभागों की क्या कार्यनीति है;	पेड़ों के संरक्षण व रखरखाव के लिए नियमितरूप से पानी देना, खाद देना, आवश्यकतानुसार समय–समय पर कटाई–छटाई करना एवं किसी भी प्रकार की बिमारी या कीड़े व दीमक के प्रकोप से रोकथाम के लिए उपचार करना ही उद्यान विभाग पीडब्ल्यूडी की नीति है।
ख)	पिछले 5 वर्षों मे पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनों संस्थाओं ने क्या कदम उठाए है;	पिछले 5 वर्षों में पेड़ों के रखरखाव को नियमितरूप से एवम समय से सभी प्रकार की उद्यान किया जैसे पानी देना, खाद देना, समय से कटाई–छटाई करना एवम बिमारी और दीमक का उपचार इत्यादि करना है, जिससे दिल्ली की सड़कों पर अधिक से अधिक हरियाली रहे।
ग)	पेड़ों के ठीक से रखरखाव व संरक्षण के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है; और	उपरोक्त कम संख्या (क) और (ख) के अनुसार।
घ)	पेड़ों के ठीक से रखरखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिति में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई व उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है, पूर्ण विवरण दें ?	पेड़ अधिकतर आंधी व तुफान के समय गिरते है जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। रखरखाव की कमी से कोई पेड़ नही गिरा है, और प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के लिए अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही तय नही की जा सकती।

यह पत्र निदेशक (उद्यान), लो0नि0वि0 (दि0स0) की अनुमति से जारी किया जाता है।

Choudhary 28/12/2021

सहायक निदेशक (उद्यान) (यो0)
लो0नि0वि0 (दि0स0), नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. निदेशक (अनु0) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0 (दिल्ली सरकार), 12वां तल, एम0एस0ओ0 भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

सहायक निदेशक (उद्यान) (यो0)

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan
New Delhi-110002